न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

अनवान – आत्माराम बनाम जगदीश आदि

किस्म मुकदमा :- 49 RTA प्रकरण सं. :- 154/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14/7/25	पत्रावली वास्ते रिपोर्ट पेश हुई। उक्त पत्र आ. प्रा. पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर है। पिछला रिपोर्ट शामिल किया जाकर पत्रावली संबंधित तहसीलदार को भेजी जा। वापस पेश हो। आदेश आज सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2025/385

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 154/25 GCMS:-2025/385 दायर दिनांक : 18.06.2025

आत्माराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी चक 2 के.के. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

—प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी चक 2 के.के. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
4. रविन्द्र कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी 2 के.के. तहसील पदमपुर
5. सुखेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी 2 के.के. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री लेखराज देरासरी, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री महावीर सिहाग, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1, 4 व 5
3. पैरोकार राज

निर्णय दिनांक : 15.07.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 49, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 आपस में सगे भाई हैं। वाके चक 3 आर.एम. पटवार हल्का 1 ए.एस. भू.अ.नि. क्षेत्र रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता सं. 3/17 के पत्थर नं. 133/24 (40) के किला नं. 1 से 25 = 5.767 है0 नहरी मय खाला भूमि में से प्रार्थी के नाम 4476/5767 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1291/5767 हिस्सा भूमि एवं वाके चक 2 के. के. पटवार हल्का चिदाबुट्टर भू.अ.नि. [illegible]वाला तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता सं. 75/75 के मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 1 से 25 = 6.199 है0 नहरी भूमि में से प्रार्थी के नाम 557/6199

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:04 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र रविन्द्र कुमार के नाम 1562/6199 हिस्सा एवं सुखेन्द्र कुमार के नाम 1562/6199 हिस्सा भूमि तथा इसी चक 2 के.के. के संयुक्त खाता सं. 139/29 में अंकित 3.163 है0 नहरी भूमि में से प्रार्थी के नाम 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र सुखेन्द्र कुमार के नाम 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी की चक 3 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ व चक 2 के.के. तहसील पदमपुर में खातेदारी कृषि भूमि है व अप्रार्थी सं. 1 की चक 3 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ में कृषि भूमि है एवं अप्रार्थी सं. 1 के पुत्रों की चक 2 के.के. में दो खातों में कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं. 1 व उसके दोनों पुत्र संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं और चक 2 के.के. की भूमि संयुक्त रूप से काश्त कर रहे हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 काश्त में सुविधा व भूमि को समेकित करने के आशय से उक्त भूमि का परस्पर विनिमय करना चाहते हैं, अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, जिसके लिए अप्रार्थी सं. 1 सहमत है। विनिमय से प्रभावित होने वाली भूमि दो तहसीलों की है व धारा 17 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना–पत्र दो क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में से किसी एक न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए प्रार्थी ने 2/–रू. के न्याय शुल्क पर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर वाके चक 3 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता सं. 3/17 में अंकित 5.767 है0 भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित 1291/5767 हिस्सा यानि 1.291 है0 (5 बीघा 2 बिस्वा) भूमि विनिमय में प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने व इस भूमि के बदले वाके चक 2 के.के. तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के संयुक्त खाता सं. 75/75 में अंकित 6.199 है0 नहरी भूमि में से प्रार्थी के नाम अंकित 557/6199 हिस्सा यानि 0.557 है0 (2 बीघा 4 बिस्वा) व इसी चक 2 के.के. तहसील पदमपुर के संयुक्त खाता सं. 139/29 में अंकित 3.163 है0 नहरी भूमि में से प्रार्थी के नाम अंकित 1/4 हिस्सा यानि 0.791 है0 (3 बीघा 2½ बिस्वा), कुल 5 बीघा 6½ बिस्वा भूमि विनिमय में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर [illegible] किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया [illegible] अभिभाषक जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:04 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति व एतराज नहीं होगा। अप्रार्थी सं. 1 के पुत्रों रविन्द्र कुमार व सुखेन्द्र कुमार ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी.सी. मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर जैरप्रार्थना–पत्र भूमि में प्रार्थीगण सहखातेदारान व प्रभावित पक्षकार होने के कारण प्रार्थना–पत्र में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया, जिस पर अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति नहीं किये जाने पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण रविन्द्र कुमार व सुखेन्द्र कुमार स्वीकार कर पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये, जिन्हें अप्रार्थीगण सं. 4 व 5 अंकित करते हुए संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण सं. 4 व 5 ने जवाब प्रार्थना–पत्र (इकबाल दावा) प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

जवाब प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा, जमाबन्दियों का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि वाके चक 3 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता सं. 3/17 में अंकित 5.767 है0 भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित 1291/5767 हिस्सा भूमि विनिमय में प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने व इस भूमि के बदले वाके चक 2 के.के. तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के संयुक्त खाता सं. 75/75 में अंकित 6.199 है0 नहरी भूमि में से प्रार्थी के नाम अंकित 557/6199 हिस्सा व इसी चक 2 के.के. तहसील पदमपुर के संयुक्त खाता सं. 139/29 में अंकित 3.163 है0 नहरी भूमि में से प्रार्थी के नाम अंकित 1/4 हिस्सा भूमि विनिमय में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज किये जानें के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1, 4 व 5 ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 4 पर

बहस का श्रवण करने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी चक 3 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 3/17 में अंकित 5.767 है0 नहरी मय खाला खातेदारी भूमि में से प्रार्थी के नाम 4476/5767 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1291/5767 हिस्सा भूमि एवं वाके चक 2 के.के. तहसील पदमपुर के संयुक्त खाता सं. 75/75 में अंकित 6.199 है0 नहरी खातेदारी भूमि में से प्रार्थी के नाम 557/6199 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 के पुत्रगण रविन्द्र कुमार के नाम 1562/6199 हिस्सा एवं सुखेन्द्र कुमार के नाम 1562/6199 हिस्सा भूमि तथा इसी चक 2 के.के. के संयुक्त खाता सं. 139/29 में अंकित 3.163 है0 नहरी खातेदारी भूमि में से प्रार्थी के नाम 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र सुखेन्द्र कुमार के नाम 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिसके अनुसार प्रार्थी की तहसील सूरतगढ़ व तहसील पदमपुर में अलग–अलग चकों में खातेदारी भूमि है एवं अप्रार्थी सं. 1 की तहसील सूरतगढ़ में एवं उसके पुत्रों की तहसील पदमपुर में खातेदारी भूमि है। काश्त की सुविधा व भूमि को समेकित करने के उद्देश्य से प्रार्थी ने उक्त चक 3 आर.एम. के खाता सं. 3/17 में अंकित 5.767 है0 नहरी मय खाला भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित 1291/5767 हिस्सा भूमि विनिमय में अपने नाम दर्ज करने व बदले में चक 2 के.के. के संयुक्त खाता सं. 75/75 में अंकित 6.199 है0 नहरी भूमि में से प्रार्थी अपने नाम अंकित 557/6199 हिस्सा तथा इसी चक 2 के.के. के संयुक्त खाता सं. 139/29 में अंकित 3.163 है0 नहरी भूमि में से प्रार्थी अपने नाम अंकित 1/4 हिस्सा भूमि विनिमय में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। उक्त विनिमय से प्रार्थी की भूमि एक ही तहसील सूरतगढ़ में व अप्रार्थी सं. 1 की भूमि, अपने पुत्रों के साथ एक ही तहसील पदमपुर में दर्ज हो जायेगी। पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा में उक्त विनिमय को प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ने स्वीकार किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में यह अंकित किया है कि केवल काश्त की सुविधा व भूमि को समेकित करने के उद्देश्य से ही उक्त विनिमय चाहा गया है, अन्य कोई आन्तरिक उद्देश्य नहीं है, जिसकी ताईद में प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 5 पर

(5) (154/2025 आत्माराम बनाम जगदीश व अन्य)

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वाके चक 3 आर.एम. पटवार हल्का 1 ए.एस. भू.अ.नि. क्षेत्र रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता सं. 3/17 के पत्थर नं. 133/24 (40) के किला नं. 1 से 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 से 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 19/1, 20/1, 21, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 25/3 = 5.767 है0 (5.641 है0 नहरी व 0.126 है0 खाला) खातेदारी भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 जगदीश पुत्र हेतराम के नाम अंकित 1291/5767 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से कलमजन कर प्रार्थी आत्माराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी चक 2 के.के. तहसील पदमपुर के नाम दर्ज करने एवं वाके चक 2 के.के. पटवार हल्का चिदाबुट्टर भू.अ.नि. क्षेत्र रत्तेवाला तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के संयुक्त खाता सं. 75/75 के मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 1 से 25 = 6.199 है0 नहरी भूमि में से प्रार्थी आत्माराम पुत्र हेतराम के नाम अंकित 557/6199 हिस्सा भूमि व इसी चक 2 के.के. तहसील पदमपुर के संयुक्त खाता सं. 139/29 के मुरब्बा नं. 40 के किला नं. 1, 2, 3/1, 8/2, 9 से 12, 13/1, 18/1, 19 से 22, 23/1 = 3.163 है0 नहरी खातेदारी भूमि में से प्रार्थी आत्माराम पुत्र हेतराम के नाम अंकित 1/4 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम से कलमजन कर अप्रार्थी सं. 1 जगदीश पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी चक 2 के.के. तहसील पदमपुर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़/पदमपुर के नाम से पारित किये जाते हैं। सम्बन्धित पक्षकार की भूमि यदि रहन अंकित हो तो रहनमुक्त होने के पश्चात् ही अंकन किया जावे। आदेश की पालना में अलग से तहरीर जारी की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 14.07.2025 को निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़